

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०,

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या:एस०पी०एम०यू/एम०आई०एस०/ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/2015-16(Vol-2)/51-ई/9298 दिनांक 05-12-18

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 हेतु ब्लॉक स्तर पर कार्यरत ब्लॉक डाटा-इंट्री ऑपरेटर के शेष 06 माह (01 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक) के मानदेय की धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त एस०आर०ओ०पी० 2018-19 (Sup. ROP F.No.10(10)/2018-NHM-I Dated 06.11.2018) में एफ०एम०आर० कोड संख्या 16.8.3.1.9 के अन्तर्गत ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्राप्त स्वीकृति में संयुक्त सचिव, भारत सरकार के आ०ओ०पी० में सदर्भित पत्र संख्या 10(36)2015-NRHM-I दिनांक 22.07.2016 के क्रम में निर्देशित किया गया है कि यदि राज्यों द्वारा वर्तमान में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के स्थान पर डाटा इन्ट्री कार्य हेतु आउटसोर्सिंग करना सम्भव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्यों को पूर्व में स्वीकृत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के पदों को बनाये रखने हेतु विकल्प दिया गया है, साथ ही डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के नवीन पदों की स्वीकृति न प्रदान करते हुए नवीन भर्तियाँ न करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त के क्रम में ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर हेतु शेष 06 माह (01 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक) की धनराशि एफ०एम०आर० कोड संख्या 16.8.3.1.9 (पूर्व एफ०एम०आर० कोड संख्या B.15.3.1.2) मद में निम्न तालिकानुसार स्वीकृत की जा रही है। जिसका व्यय जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं डैप के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जाएगा।

FMR Code: 16.8.3.1.9 (Old FMR Code: B15.3.1.2 Data Entry Operators at Block Level)

S.No.	Districts	No. of Blocks	@ Rs 14,000.00/ month/ operator for 820 Block Data Entry Operator (Total amount proposed for 06 months 01 Oct. 2018 to 31 Mar. 2019) Amount in Rs.
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4= Col 3x14000*6
1	Agra	15	1260000
2	Aligarh	12	1008000
3	Allahabad	20	1680000
4	Ambedkar Nagar	9	756000
5	Amethi	13	1092000
6	Amroha (JP Nagar)	6	504000
7	Auraiya	7	588000
8	Azamgarh	22	1848000
9	Baghpat	6	504000
10	Bahraich	14	1176000
11	Ballia	17	1428000
12	Balrampur	9	756000
13	Banda	8	672000
14	Barabanki	15	1260000
15	Bareilly	15	1260000
16	Basti	14	1176000
17	Bijnor	11	924000

S.No.	Districts	No. of Blocks	@ Rs 14,000.00/ month/ operator for 820 Block Data Entry Operator (Total amount proposed for 06 months 01 Oct. 2018 to 31 Mar. 2019) Amount in Rs.
18	Budaun	15	1260000
19	Bulandshahar	16	1344000
20	Chandauli	9	756000
21	Chitrakoot	5	420000
22	Deoria	16	1344000
23	Etah	8	672000
24	Etawah	8	672000
25	Faizabad	11	924000
26	Farukhabad	7	588000
27	Fatehpur	13	1092000
28	Firozabad	9	756000
29	Gautam Buddha Nagar	4	336000
30	Ghaziabad	4	336000
31	Ghazipur	16	1344000
32	Gonda	16	1344000
33	Gorakhpur	19	1596000
34	Hamirpur	7	588000
35	Hapur	4	336000
36	Hardoi	19	1596000
37	Hathras	7	588000
38	Jalaun	9	756000
39	Jaunpur	21	1764000
40	Jhansi	8	672000
41	Kannauj	8	672000
42	Kanpur Dehat	10	840000
43	Kanpur Nagar	10	840000
44	Kasganj	7	588000
45	Kaushambi	8	672000
46	Kushi Nagar	14	1176000
47	Lakhimpur Kheri	15	1260000
48	Lalitpur	6	504000
49	Lucknow (+3 Block)	8	672000
50	Maharajganj	12	1008000
51	Mahoba	4	336000
52	Mainpuri	9	756000
53	Mathura	10	840000
54	Mau	9	756000
55	Meerut	12	1008000
56	Mirzapur	12	1008000
57	Moradabad	8	672000
58	Muzaffar Nagar	9	756000
59	Pilibhit	7	588000

S.No.	Districts	No. of Blocks	@ Rs 14,000.00/ month/ operator for 820 Block Data Entry Operator (Total amount proposed for 06 months 01 Oct. 2018 to 31 Mar. 2019) Amount in Rs.
60	Pratapgarh	17	1428000
61	Raebareli	18	1512000
62	Rampur	6	504000
63	Saharanpur	11	924000
64	Sambhal	8	672000
65	Sant Kabir Nagar	9	756000
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	6	504000
67	Shahjahanpur	15	1260000
68	Shamali	5	420000
69	Shrawasti	5	420000
70	Siddharth Nagar	14	1176000
71	Sitapur	19	1596000
72	Sonbhadra	8	672000
73	Sultanpur	13	1092000
74	Unnao	16	1344000
75	Varanasi	8	672000
	Total	820	68880000

अतः उपरोक्त दी गयी फांट के अनुसार "डाटा इन्ट्री ऑपरेटर-ब्लॉक लेवल" हेतु जनपदों को 06 माह (01 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक) की धनराशि रु 68880000.00 (रुपये छः करोड़ अठ्ठासी लाख अस्सी हजार मात्र) अवमुक्त की जा रही है। कृपया उक्त मानकों के अनुसार एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय एफ0एम0आर0 कोड संख्या 16.8.3.1.9 Data Entry Operation (पूर्व एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी15.3.1.2 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर-ब्लॉक लेवल) से किया जाना सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

उक्त के साथ ही पोर्टल पर डाटा प्रविष्टि एवं अपडेशन की समयबद्धता, पूर्णता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने एवं प्रदेश में डाटा इन्ट्री से सम्बन्धित विषमताओं के निवारण एवं एकरूपता हेतु निम्नवत् दिशा-निर्देश हैं:-

आवश्यक दिशा-निर्देश :-

- डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा एम0सी0टी0एस0/एच0एम0आई0एस0/आर0सी0एस0 पोर्टल पर ससमय, शत-प्रतिशत एवं गुणवत्तापूर्ण डाटा प्रविष्टि किया जाये, डाटा की जाँच एवं पुष्टि ए0आर0ओ0 द्वारा की जाये जिसकी समीक्षा ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर नियमित रूप से की जाये।
- एच0एम0आई0एस0 मासिक रिपोर्ट एवं वार्षिक इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट एवं यू0पी0एच0एम0आई0एस0 हेतु ऑकड़ों को ससमय पोर्टल पर प्रविष्टि एवं अपडेट किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- नियमित रूप से वर्क प्लान जनरेट कर ए0एन0एम0 को उपलब्ध कराया जाये एवं भरे हुये वर्क प्लान की सूचना को पोर्टल पर ससमय अपडेट किया जाये।
- ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर मास्टर डेटाबेस एवं ग्राम स्तरीय मैपिंग की पोर्टल पर शत-प्रतिशत जाँच एवं पुष्टि की जाये।
- लाभार्थियों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियों (ए0एन0एम0 एवं आशा) का पूर्ण विवरण उनके दूरभाष, टेलीकाम प्रोवाइडर आधार एवं बैंक विवरण के साथ पोर्टल पर ससमय दर्ज एवं अपडेट किया जाना एवं दर्ज सभी रिकार्ड्स का वेरीफिकेशन (सत्यापन) पोर्टल पर किया जाना।
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के सहयोग से ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की क्षमतावर्धन करेंगे तथा डाटा इन्ट्री की संख्यात्मक प्रगति और गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।
- ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को समय-समय पर जनपद/मण्डल स्तरीय पोर्टल संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से भेजा जाये साथ ही प्रदेश में भारत सरकार स्तर से विकसित नवीन अनमोल ऐप का प्रशिक्षण

प्राप्त कर ब्लॉक की समस्त ए0एन0एम0 कार्यकत्रियों की हैण्ड-होलिंग की जानी सुनिश्चित की जाए जिससे कि प्रदेश में अनमोल ऐप का सफल क्रियान्वयन हो सके।

- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सभी ब्लॉक की मासिक समीक्षा विस्तृत रूप में की जाये एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा पोर्टल पर कार्य करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाये।
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सभी ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के बैंक एकाउन्ट में सरासरी भुगतान, Labour Laws एवं Minimum Wages Act का पालन करते हुए कराया जाये एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई भी शिकायत प्राप्त हो तो समस्या का निवारण तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- ब्लॉक स्तर पर कार्यरत ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों हेतु वर्ष 2017-18 हेतु प्रतिमाह स्वीकृत धनराशि ₹0 14000.00/- के सापेक्ष मानव संसाधन अनुभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रतिमाह धनराशि ₹0 9556.00/-, ई0पी0एफ0, सर्विस चार्ज, जी0एस0टी0 आदि ब्रेकअप का पालन Annexure-1 के अनुसार किया जाये। ब्रेकअप के अर्न्तगत EPF(Employer@13.15%) हेतु धनराशि ₹0 5054.77 लाख, भारत सरकार द्वारा एन0एच0एम0 के अर्न्तगत ₹015000/- या इससे कम धनराशि प्राप्त करने वाले कान्ट्रेक्टुअल कर्मियों हेतु FMR B.30.21 के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत है जिसके सम्बन्ध में जनपदों को पत्रांक: 03/एस0पी0एम0यू0/लेखा/ 2015-16/वेतन/4682 दिनांक 11.08.2017 को प्रेषित किया गया है।
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सभी ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों का मूल्यांकन पोर्टल पर प्रविष्टि डाटा की समयबद्धता, पूर्णता एवं गुणवत्ता के आधार पर किया जाये।
- डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के कार्य की समीक्षा त्रैमासिक आधार पर की जानी है जिस हेतु वेन्चमार्क औसतन 125 रिकार्ड्स प्रति दिन एवं न्यूनतम 2500 नवीन पंजीकरण/सर्विस अपडेशन प्रति माह एम0सी0टी0एस0/आर0सी0एच0 पोर्टल पर किया जाना भारत सरकार स्तर से निर्धारित किया गया है। अन्यथा की दशा में सम्बन्धित हेतु मानव संसाधन सपोर्ट प्रदान किया जाना संभव नहीं होगा।
- ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों हेतु अनुबन्ध 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य (भारत सरकार से स्वीकृत वित्तीय वर्ष) की समयावधि अनुसार ही किया जाये।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश:

उक्त धनराशियों का व्यय "आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु आपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहे।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल बाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफार्मेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU /NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या:एस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/2015-16(Vol-2)/51-ई/
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

तददिनांक

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0 एवं महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(बी0के0 जैन)

महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0